



**राजस्थान राजपत्र
विशेषांक**

साधिकार प्रकाशित

**RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary**

Published by Authority

आषाढ 05, सोमवार, १९४५-जून 26, 2023

Asadha 05, Monday, Saka 1945-June 26, 2023

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आजायें।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 26, 2023

संख्या एफ.2(1)गृह/संपर्क/सचि./प्रका./2023 :- सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नियमित रूप से विज्ञापन जारी किए जाते हैं। भविष्य में सोशल मीडिया हैंडल्स संचालकों/सोशल मीडिया इन्फलूएंसर्स को भी विज्ञापन जारी किये जायेंगे। सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया हैंडल्स संचालकों/सोशल मीडिया इन्फलूएंसर्स को विज्ञापन जारी करने हेतु पॉलिसी गाईडलाइन के प्रमुख प्रावधान निम्न प्रकार से हैं :-

1. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यथा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब इत्यादि के अकाउंट होल्डर/संचालक/सोशल मीडिया इन्फलूएंसर्स का विभाजन चार श्रेणियों ए, बी, सी और डी में किया जाएगा।
 - (क) श्रेणी ए - न्यूनतम 10 लाख सब्सक्राइबर/फॉलोअर्स।
 - (ख) श्रेणी बी - न्यूनतम 5 लाख सब्सक्राइबर/फॉलोअर्स।
 - (ग) श्रेणी सी - न्यूनतम 1 लाख सब्सक्राइबर/फॉलोअर्स।
 - (घ) श्रेणी डी - न्यूनतम 10 हजार सब्सक्राइबर/फॉलोअर्स।
2. ए श्रेणी में इम्पैनलमेंट हेतु आवेदन करने हेतु पिछले ३ माह तक सोशल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल में प्रतिमाह न्यूनतम 100 वीडियो या 150 पोस्ट किया जाना अनिवार्य है। बी श्रेणी में इम्पैनलमेंट हेतु आवेदन करने हेतु पिछले ३ माह तक सोशल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल में न्यूनतम 60 वीडियो या 100 पोस्ट किया जाना अनिवार्य है। सी श्रेणी में इम्पैनलमेंट हेतु आवेदन करने हेतु पिछले ३ माह तक सोशल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल में प्रतिमाह न्यूनतम 30 वीडियो या 50 पोस्ट किया जाना अनिवार्य है। डी श्रेणी में इम्पैनलमेंट हेतु आवेदन करने हेतु पिछले ३ माह तक सोशल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल में प्रतिमाह न्यूनतम 15 वीडियो या 30 पोस्ट किया जाना अनिवार्य है।
3. श्रेणी ए में आने वाले सोशल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल को अधिकतम 5 लाख रूपए प्रतिमाह के विज्ञापन जारी किए जा सकेंगे। श्रेणी बी में आने वाले सोशल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल को अधिकतम 2 लाख रूपए प्रतिमाह के विज्ञापन जारी किए जा सकेंगे। श्रेणी सी में आने वाले सोशल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल को अधिकतम 50 हजार रूपए प्रतिमाह के विज्ञापन जारी किए जा सकेंगे।